की जावेगी। [illegible]

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible]

कारण आज दिनांक 4/8/15 को

विचाराधीन राजस्व मुकदमात की

सुनवाई दिनांक 31/8/15 को

की जावेगी।

31/8/15 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible]

कारण आज दिनांक 31/8/15 को

विचाराधीन राजस्व मुकदमात की

सुनवाई दिनांक 5/11/15 को

की जावेगी। [illegible]

5/11/15 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible]

कारण आज दिनांक 5/11/15 को

विचाराधीन राजस्व मुकदमात की

सुनवाई दिनांक 7/11/16 को

की जावेगी। [illegible]

7/11/16 वकील [illegible] उपस्थित। मुकदमे [illegible] दिनांक 10/3/16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

28/1/16 मुकदमे दिनांक 10/3/16 से आज तक [illegible] पर पेश हुआ। वकील वादी द्वारा [illegible] नहीं चाहते हैं तथा दावा को Note Press किया। अतः दावा वादी Note Press से खारिज किया। दावा को मुकदमे फाईल [illegible] कमरे से कमरे शामिल [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
करौली